विविध **बैंक प्रकरण संख्या 165/2022**(GCMS : **2022/235) ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसक पंजिकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज–II, स्पेन्सर प्लाजा नं. 769, माउण्ट रोड़, अन्ना सलाई, चेन्नई–600002, तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय –होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, डीसीएम, जयपुर–322019 राज. बनाम 1. रोशन सिंह** पुत्र महेन्द्र सिंह पता 2, मम्मडखेड़ा, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान – 335037 2.**अमनदीप कौर** पत्नी बलवन्त सिंह पता 2, मम्मड़खेडा, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान– 335037 3.**संदीप सिंह** पता 2, मम्मड़खेडा, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान–335037

09.11.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री महादेव प्रसाद मिढा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन किया कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 12.09.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण रोशन सिंह, अमनदीप कौर एवं संदीप सिंह को ऋण सुविधा के रूप में 2.65/– लाख रूपये (अखरे रूपये दो लाख पैसंठ हजार मात्र) का ऋण दिनांक 29.12.2018 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी रोशन सिंह की सम्पत्ति पट्टा संख्या 25, (क्षेत्रफल 2684.5 वर्गफीट), वार्ड नं. 07, मम्मड़खेडा, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 25.10.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 25.10.2021 को 2,72,162/–रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थीगण को**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 30.10.2021 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थीगण रोशन सिंह, अमनदीप कौर एवं संदीप सिंह को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 09.11.2021 को भिजवाये गये है **इसके बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी रोशन सिंह द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपनी सम्पत्ति सम्पत्ति पट्टा संख्या 25, (क्षेत्रफल 2684.5 वर्गफीट), वार्ड नं. 07, मम्मड़खेडा, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण रोशन सिंह, अमनदीप कौर एवं संदीप सिंह** को 2.65/–लाख रूपये (अखरे रूपये दो लाख पैंसठ हजार मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 29.12.2018 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी रोशन सिंह की सम्पत्ति पट्टा संख्या 25, (क्षेत्रफल 2684.5 वर्गफीट), वार्ड नं. 07, मम्मड़खेडा, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **25.10.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 30.10.2021 को जारी किये गये है तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 09.11.2021 को भिजवाया गया, जिसकी रंसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध नहीं है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी रोशन सिंह द्वारा अपनी सम्पत्ति पट्टा संख्या 25, (क्षेत्रफल 2684.5 वर्गफीट), वार्ड नं. 07, मम्मड़खेडा, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 30.10.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 30.10.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 09.11.2021 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए **ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी अप्रार्थी रोशन सिंह के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।**

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्माल फाईनेन्स बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार **किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति पट्टा संख्या 25, (क्षेत्रफल 2684.5 वर्गफीट), वार्ड नं. 07, मम्मड़खेडा, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर **का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर